न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—नथमल डिडेल, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः—08/2021 (14 सिक्योरिटाइजेशन)

बैंक ऑफ इंडिया शाखा—हनुमानगढ़ जरिये प्राधिकृत अधिकारी

——प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स सरान फोर्ट प्रो. श्रीमती बलविंदर कौर पत्नी श्री बहादर सिंह जाति अराई निवासी चक 16 एम.के.एस. मानकसर, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

——(ऋणी)

2. श्री बहादुर सिंह पुत्र श्री लिखमी सिंह निवासी मकान नं. 18, सेक्टर नं. 6, सुरेशिया पुलिस चौकी के पास, हनुमानगढ़।

——(जमानतदार/बंधनकर्त्ता)

3. श्री बेअंत सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह निवासी मकान नं. 18, सेक्टर नं. 6, सुरेशिया पुलिस चौकी के पास, हनुमानगढ़।

——(जमानतदार)

4. श्री वाहेगुरू सिंह पुत्र श्री लाल सिंह निवासी मकान नं. 18, सेक्टर नं. 6, सुरेशिया पुलिस चौकी के पास, हनुमानगढ़।

——(जमानतदार/बंधनकर्त्ता)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते

आदेश दिनांकः—08.07.2021

प्रार्थी बैंक ऑफ इंडिया, शाखा हनुमानगढ, तहसील व जिला हनुमानगढ़ की ओर से श्री रामकुमार बिश्नोई वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। बैंक के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक ने ऋणी को दिनांक 06.10.2015 को 01,05,00,000.00/—(अखरे एक करोड़ पांच लाख रूपये) की ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई थी। ऋणी/जमानतदारों द्वारा ऋण की ऐवज में बंधक चल व अचल सम्पत्ति—(1) चक 16 एम.के.एस. सीरियल नं. 161/229 (81) खसरा नं. 20/240, 21/253 सीरियल नं. 161/230 (84) खसरा नं. 1/139 = 362 हैक्ट. (6320 वर्गमीटर), है जो चक 16 एम.के.एस. मानकसर, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ में

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

स्थित है जो कि श्रीमती बलविंदर कौर पत्नी श्री बहादुर सिंह के नाम से है। (2) मकान नं. 18 (पश्चिम की तरफ का आधा भाग) सेक्टर नं. 6, वार्ड नं. 43, हनुमानगढ़ में स्थित है जो कि श्री वाहेगुरू के नाम से है। (3) मकान नं. 18 (पूर्व की तरफ का आधा भाग) सेक्टर नं. 6, वार्ड नं. 43, हनुमानगढ़ में स्थित है जो कि श्री बहादुर सिंह के नाम से है जिसका ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में प्रार्थी बैंक के हक में सम्यबंधक व निष्पादन किया।

ऋणी द्वारा उक्त ऋण को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक के द्वारा नियमानुसार दिनांक 31.12.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया।

ऋणी का खाता एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ऋणी/जमानतदार को दिनांक 03.01.2020 को मांग नोटिस भेज कर 60 दिन में ऋण राशि 66,46,672.76/–(अखरे रूपये छियासठ लाख छियालीश हजार छः सौ बहत्तर एवं पैसे छियत्तर मात्र) दिनांक 31.12.2019 तक एवं इस दिनांक के बाद का ब्याज व अतिरिक्त खर्चे, लागत इत्यादि मांग की गई। वकील ने यह भी कथन किया कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नही करवाई गयी व न ही बंधक शुदा सम्पति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया।

ऋणी एवं जमानतदार द्वारा ऋण की सम्पूर्ण राशि बैंक को जमा नहीं करवाई है। उक्त एक्ट के प्रावधानो के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा 14 के प्रावधानो के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को उक्त बंधक शुदा सम्पति का भौतिक कब्जा पुलिस सहायता से दिलाया जावे ताकि अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पति निलाम कर बकाया ऋण राशि वसूल की जा सकें।

बैंक ऑफ इंडिया के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। ऋणी/जमानतदार द्वारा बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत ऋणी/जमानतदार को नोटिस जारी किया जाना पाया गया। इसके पश्चात भी ऋणी/जमानतदार द्वारा ऋण राशि की शर्तो के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियो के तहत तथा बैंक ऑफ इंडिया के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक ऑफ इंडिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ऋणी/जमानतदार द्वारा उक्त ऋण की सुविधा की एवज में प्रार्थी बैंक ऑफ इंडिया के पास ऋणी/जमानतदारों द्वारा ऋण की ऐवज में बंधक चल व अचल सम्पत्ति–(1) चक 16 एम.के.एस. सीरियल नं. 161/229 (81) खसरा नं. 20/240, 21/253 सीरियल नं. 161/230 (84) खसरा नं. 1/139 = 362 हैक्ट. (6320 वर्गमीटर), है जो चक 16 एम.के. एस. मानकसर, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ में स्थित है जो कि श्रीमती बलविंदर कौर पत्नी श्री बहादुर सिंह के नाम से है। (2) मकान नं. 18 (पश्चिम की तरफ का आधा भाग) सेक्टर नं. 6, वार्ड नं. 43, हनुमानगढ़ में स्थित है जो कि श्री वाहेगुरू के नाम से है। (3) मकान नं. 18 (पूर्व की तरफ का आधा भाग) सेक्टर नं. 6, वार्ड नं. 43, हनुमानगढ़ में स्थित है जो कि श्री बहादुर सिंह के नाम से है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से बैंक ऑफ इंडिया को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की

प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक ऑफ इडिया को उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ व बैंक ऑफ इण्डिया को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 08.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official